<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एम०पी०/एम०एल०ए०), न्यायालय संख्या-5, वाराणसी।</u>

पीठासीन अधिकारी- यजुवेन्द्र विक्रम सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

दाण्डिक निगरानी संख्या- 61 सन् 2025

CNR NO. UPVR010009962025

नागेश्वर मिश्र पुत्र सुरेश मिश्र व श्रीमती सीता मिश्रा पत्नी श्री नागेश मिश्र निवासीगण तिलमापुर, थाना सारनाथ जनपद वाराणसी।

.......निगरानीकर्ता।

बनाम

1- उ०प्र० सरकार

2- राहुल गाँधी पुत्र स्व० राजीव गाँधी संसद सदस्य भारत सरकार नई दिल्ली व नेता प्रमुख विपक्षीदल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नई दिल्ली। निवासी 10, जनपथ नई दिल्ली-110001।

.......विपक्षीगण

<u>:: निर्णय ::</u>

1- निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपराधिक निगरानी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० 4, वाराणसी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 3200/2024 नागेश्वर मिश्र व अन्य बनाम राहुल गाँधी मे पारित आदेश दिनांक 28.11.2024 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र अं० धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त कर दिया है।

2- निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी में संक्षेप में आधार यह लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांकित 28.11.2024 विधि विरुद्ध है, इसलिए निरस्त होने योग्य है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद अं० धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो तथ्य योजित किये गये हैं, वे इस प्रकार हैं- "विगत 4-5 दिनों से सभी समाचार चैनलों व समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर पढ़कर बेहद चिंतित है, जिसमें देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी ने अपने अमेरिकी यात्रा के दौरान बेहद आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा है कि भारत में सिक्खों के बीच असुरक्षा का माहौल है एक सिक्ख के तौर पर उन्हें पगड़ी पहनने की अनुमति मिलेगी या नहीं? और क्या वह गुरुद्वारे जा सकेंगे? उन्होंने अपने कार्यक्रम में उपस्थित एक सिक्ख पत्रकार भलिन्दर सिंह का नाम पुछने के बाद यह बात कही, जिस पर खुद भलिन्दर सिंह और अन्य सिक्खों ने भी आपत्ति जताई क्योकि यह बयान उकसाये और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को लड़ाने-भिड़ाने वाला है। राहुल गांधी का सिक्खों के सम्बंध में दिया गया बयान इतना भड़काऊ है कि इसी से समझा जा सकता है कि खालिस्तानी आतंकी गुरूपतवंत सिंह "पन्नू" ने उनके कथन को सही करार दिया है, जो एक तरह से खालिस्तानी आंतकियों का काम आसान किया है और यह भी तय है कि खालिस्तानी आंतकी उनके इस बयान का सहारा लेकर भारत में हिंसा व अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगे और दुनिया में भारत के विरूद्ध दुस्प्रचार करेंगें। राहुल गांधी ने सी.ए.ए. के विरुद्ध 14.12.2019 को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत बचाओं रैली को सम्बोधित करते हुए ऐसा ही दुस्प्रचार करके दिल्ली के शाहीनबाग में व्यापक धरना प्रदेशन को अंजाम दिया था जिसका दुखद अंत हिंसा और अराजकता से हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा लोंगो को अपनी जान गवांनी पड़ी थी जिसके सम्बंध में प्रार्थी एवं प्रार्थिनी ने दिनांक

09.03.2020 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को सम्बोधित एक प्रत्यावेदन सी.बी.आई. जांच कराने हेतु प्रेषित किया था। राहुल गांधी का उक्त बयान भारत के विरूद्ध गृह युद्ध भड़काने की साजिश है जिसका प्रमाण विगत दिनों राहुल गांधी के चहेते व कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का यह बयान कि "भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है" जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अन्तर्गत धारा 147, 148, व 152 में दण्डनीय अपराध है। इसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 17.09.2024 को प्रार्थना पत्र पुलिस आयुक्त वाराणसी तथा अन्य अधिकारियों को दिया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र को विषय व तथ्यों पर ध्यान आकृष्ट नही किया गया। क्योंकि माननीय अवर न्यायालय द्वारा उक्त प्रकीर्ण वाद में पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा दिनांक 17.09.2024 को उक्त घटना के सम्बन्ध मे जो प्रार्थना पत्र जरिये रजिस्टर्ड डाक पुलिस कमिश्नर वाराणसी को दिया गया" प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों तथा अन्य साक्ष्यो का भी अवलोकन किये बिना प्रकीर्ण वाद निरस्त कर दिया गया जो विधि-विरूद्ध है। प्रश्नगत आदेश पारित करते समय माननीय अवर न्यायालय दिनांक 14.12.2019 को दिल्ली रामलीला मैदान मे दिये गये भाषण व शाहिन बाग में व्यापक धरना प्रर्दशन के सम्बन्ध में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अवर न्यायालय की पत्रावली में 14.12.2019 का प्रार्थना पत्र संलग्नक तथा प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र के पैरा नं0-4 में भी दर्शित किया गया है उन समस्त तथ्यों का बिना अवलोकन किये माननीय अवर न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधि-विरुद्ध है। निगरानीकर्तागण द्वारा विपक्षी (राहुल गॉधी) के विरूद्ध जो भी प्रार्थना पत्र दिया गया है उसे माननीय अवर न्यायालय द्वारा नजर अंदाज किया गया और प्रश्नगत आदेश पारित करते समय भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता की धारा 197 का जो आधार लिया गया वह विधि के परे है। अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.11.2024 पारित करते समय भा०ना०सु०सं० की धारा 208 का जो आधार लिया गया है वह तथ्य बिल्कुल गलत व न्याय से परे है। अतः निगरानी स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है

निगरानीकर्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में सूची दिनांकित 30.06.2025 से पुलिस आयुक्त वाराणसी को शिकायती प्रार्थना पत्र की प्रति व रसीद, दिनांक 12.09.2024, 11.09.2024 तथा 22.09.2024 के पेपर की कटिंग तथा दिनांक 09.03.2000 को प्रधानमंत्री को दिया गया प्रार्थना पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

3- विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति दिनांकित 15.05.2025 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पूर्णतया विधि सम्मत है। निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी के प्रस्तर 3 में अंकित यह तथ्य "विगत 4-5 दिनो से भी समाचार चैनलो व समाचार पत्रो में प्रकाशित खबर पढ कर बेहद चिन्तित है" के सम्बन्ध में प्रार्थीविपक्षी संख्या-2 का जवाब व आपत्ति यह है कि उक्त खबर को भारत वर्ष की 140 करोड़ जनता ने देखा व सुना लेकिन भारत वर्ष में मात्र निगरानी कर्तागण को छोड कर अन्य किसी भारतीय को चिंता नही हुई, से स्पष्ट है कि उक्त खबर / वक्तव्य में कुछ भी आपत्ति जनक नहीं है। चूंकि विपक्षी संख्या-2 द्वारा अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान जो वक्तव्य दिया गया है वह एक समुदाय विशेष (सिक्खो) के ऊपर सम्पूर्ण दुनिया में हो रहे अत्याचारों के सापेक्ष दिया गया है जो सिक्ख समुदाय के विरोध में नही अपितु सिक्ख समुदाय के सम्मान में उनके हित में दिया गया है तथा भारतवर्ष के बाहर दिया गया है जिसमें ऐसा कुछ भी नही है जिससे सिक्ख समुदाय का अपमान हुआ हो या उक्त समुदाय के किसी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंची हो। निगरानीकर्तागण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में एक अन्य तिथि की घटना का भी उल्लेख किया गया है जिसका उल्लेख प्रस्तुत मामले में कही से भी समीचीन नही है। चूंकि प्रस्तुत मामले में केन्द्रीय सरकार की कोई पूर्व अनुमति उपरोक्त विषयक जांच या विचारण के सम्बन्ध में नहीं ली गयी है। धारा 197 यह कि निरागनीकर्तागण के प्रार्थना पत्र में बी०एन०एस०एस० के जिस प्राविधान का उल्लेख किया गया है वह प्राविधान ऐसी अधिकारिता वाले न्यायालय से सम्बन्धित है जिसकी अधिकारिता में वह अपराध किया गया हो, प्रस्तुत मामले में विपक्षी संख्या-2 द्वारा दिया गया वक्तव्य जिससे किसी संज्ञेय अपराध का होना प्रकट नही हो रहा है वह भारत वर्ष के बाहर अमेरिका में दिया गया है अतएव उक्त वक्तव्य के सम्बन्ध में भारत वर्ष 'या भारत वर्ष के किसी प्रदेश, जिले या नगर में

कोई अपराधिक वाद न तो दर्ज हो सकता है और ना उसकी जांच या विवेचना का आदेश दिया जा सकता है। विपक्षी संख्या-2 उस परिवार से ताल्लुक रखने वाला एक सच्चा देशभक्त है तथा वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नेता प्रतिपक्ष के सम्मानित पद पर आसीन है। उपरोक्त के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बलवनत सिंह वगैरह बनाम् स्टेट आफ पंजाब 1995 (3) में यही मत अवधारित किया गया है तथा बिलाल अहमद कालू बनाम् स्टेट आफ आन्ध्र प्रदेश 1997 (7) 431 में भी व्यक्त किया गया है इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मंजर सईद खान बनाम् स्टेट आफ महराष्ट्र 2007 (5) व पैट्रिसिया मुखीम बनाम मेघालय 2021-258 में भी उपरोक्त मत व्यक्त दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बलवन्त सिंह वगैरह बनाम् स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में यह अवधारित किया गया है कि "The intention to cause disorder or incite people to violence is the sine qua non of the offence under section153A IPC and the prosecution has to prove the existence of mens rea in order to succeed. In this case, the prosecution has not been able to establish any mens rea on the part of the appellants, as envisaged by the provisions of Section 153A IPC." प्रस्तुत उपरोक्त मामले में विपक्षी सं0-2 द्वारा जो भी कथन या वक्तव्य अमेरिका में दिया गया है, उस सम्पूर्ण कथन/ वक्तव्य में कही से भी "अपराधिक आशय" का सर्वथा अभाव है, तथा उक्त वक्तव्य में कही से भी कोई अपराधिक आशय परिलक्षित नही हो रहा है। विपक्षी सं0-2 द्वारा अमेरिका में दिया गया वक्तव्य भारतीय संविधान के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अनुक्रम के अन्तर्गत है। उक्त वक्तव्य से कोई समुदाय (सिक्ख) न तो आहत हुआ है, और ना उक्त समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा उक्त वक्तव्य के सम्बन्ध में कही कोई शिकवा शिकायत की गयी है। विपक्षी संख्या-2 द्वारा अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान सिक्ख समुदाय के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य के भारत वर्ष या भारतवर्ष के बाहर अन्य देशों में अप्रवासी के रूप में रह रहे सिक्ख समुदाय के किसी सदस्य को न तो कोई ठेस पहुंची उपरोक्त आधारों पर अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है तथा निगरानी निरस्त होने योग्य है।

विपक्षी द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गयी हैं:-

i. Balvant Singh and anrs. Vs. State of Punjab AIR 1995 (1) SCR 411

ii. Bilal Ahmed Kaloo Vs. State of Andhra Pradesh AIR 1997 Supreme Court 3483

iii. Manjar Sayeed Khan Vs. State of Maharashtra and anrs. AIR 2007 Supreme Court 2074

iv. Patricia Mukhim Vs. The State of Meghalaya AIR 2021 SC 1632

**4-** मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विरुद्ध राहुल गॉधी, इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी एक भारतीय नागरिक है तथा कानून व आस्था पर विश्वास रखने के साथ ही साथ भारतीय संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने वाला व्यक्ति है एवं भारत विरोधी क्रिया कलापों के विरुद्ध सदैव आवाज उठाता रहा है। प्रार्थी व प्रार्थिनी विगत 4-5 दिनों से सभी समाचार चैनलों व समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर पढ़कर बेहद चिंतित हैं जिसमें देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी ने अपने अमेरिकी यात्रा के दौरान बेहद आपतिजनक बयान देते हुए कहा है कि भारत में सिक्खों के बीच असुरक्षा का माहौल है एक सिक्ख के तौर पर उन्हें पगड़ी पहनने की अनुमति मिलेगी या नहीं? और क्या यह गुरुद्वारे जा सकेंगे? उन्होंने अपने कार्यक्रम में उपस्थित एक सिक्ख पत्रकार भलिन्दर सिंह का नाम पूछने के बाद यह बात कही. जिस पर खुद भलिन्दर सिंह और अन्य सिक्खों ने भी आपति जताई, क्योंकि यह बयान उकसावे और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को लडाने भिडाने वाला है। राहुल गांधी का सिक्खों के संबंध में दिया गया बयान इतना भड़काऊ है कि इसी से समझा जा सकता है कि खालिस्तानी आतंकी गुरुपलवंत सिंह "पन्नू ने उनके कथन को सही करार दिया है. जो एक तरह से खालिस्तानी आंतकियों का काम आसान किया है और यह भी तय है कि

खालिस्तानी आंतकी उनके इस बयान का सहारा लेकर भारत में हिंसा व अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगे और दुनिया में भारत के विरुद्ध दुस्प्रचार करेंगे। राहुल गांधी ने सी.ए.ए. के विरुद्ध 14.12.2019 को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत बचाओ रैली को सम्बोधित करते हुए ऐसा ही दुस्प्रचार करके दिल्ली के शाहीनवाग में व्यापक धरना प्रदर्शन को अंजाम दिया था जिसका दुखद अंत हिंसा और अराजकता से हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी थी जिसके सम्बंध में प्रार्थी एवं प्रार्थिनी ने दिनांक 09.03.2020 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को सम्बोधित एक प्रत्यावेदन सी.बी.आई. जांच कराने हेतु प्रेषित किया था। राहुल गांधी का उक्त बयान भारत के विरुद्ध गृह युद्ध भड़काने की साजिश है जिसका प्रमाण विगत दिनों ह्यहुल गांधी के चहेते व कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का यह बयान कि भारत में भी अरलिप्रदेश जैसी स्थिति हो सकती है जो दण्डनीय अपराध है। इसके सम्बन्ध में सौराण द्वारा दिनांक 17.09.2024 को प्रार्थना पत्र पुलिस आयुक्त, वाराणसी तथा अज्य अधिकारियों को दिया गया है। जिस पर कार्यवाही न होने की दशा में प्रार्थीगण उक्त गर्दन पत्र न्याय की आशा में श्रीमान् जी जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत विद्वान अवर न्यायालय द्वारा गुण-दोष पर विचार कर विस्तृत आदेश पारित करते हुए प्रार्थना-पत्र को निरस्त कर दिया है, जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी योजित की गयी है।

5- विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नही है। प्रश्नगत आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पारित किया गया है। अतः निवेदन किया गया है निगरानी निरस्त की जाय।

6- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा निगरानी/तलबशुदा पत्रावली तथा विधि के प्रावधानों का सम्यक् रूपेण परिशीलन किया गया।

7- विधि यह है कि दाण्डिक पुनरीक्षण के अधीन अवर न्यायालय द्वारा निष्कर्षित तथ्यों पर तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि ऐसे तथ्यात्मक निष्कर्ष पूर्णतयाः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न हो। पुनरीक्षण न्यायालय मात्र विधिक पहलुओं पर ही दृष्टिपात कर सकता है, कि क्या अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश, दण्डादेश विधि के अनुकूल है अथवा नहीं?

8- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि ***बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार (दाण्डिक अपील सं0 203-231 सन् 2019, निर्णय दिनांक 06.02.2019)*** के माध्यम से पूर्व प्रदत्त विधि ***Southern Sales & Services Vs. Sauermilch Design & Handels GMBH (2008) 14 SCC 457*** का अवलम्ब लेते हुये यह विधि प्रदान की गई कि "It is well established principle of law that the Revisional Court will not interfere even if a wrong order is passed by a court having jurisdiction, in the absence of a jurisdictional error."

उपरोक्त विधिक बिन्दु की मीमांशा माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त विभिन्न मार्गदर्शक विधि व्यवस्थाओं के आलोक में किया जाना समीचीन है। जहां तक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दं.प्र.सं. (अब Sec.173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के संबंध में मजिस्ट्रेट को उपलब्ध अधिकारिता का प्रश्न है, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था ***सुखवासी बनाम उ.प्र. राज्य, 2007 (59) ए.सी.सी., 739, पूर्ण पीठ*** द्वारा प्रदत्त विधिक सिद्धांत ***रामबाबू गुप्ता बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य 2001 (43) ए.सी.सी., 201,*** के माध्यम से यह विधि पूर्णतः स्थापित हो चुकी है कि याचिका अन्तर्गत धारा 156 (3) दं.प्र.सं.(अब Sec.173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) में संज्ञेय अपराध के उल्लेख मात्र से ही ऐसे आवेदन को स्वीकार कर विवेचना कराया जाना आज्ञापक व बाध्यकारी नहीं है, वरन संबंधित मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की गई कि प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों व परिस्थितियों का समुचित विश्लेशण कर न्यायिक मस्तिष्क के प्रयोग के अधीन आदेश पारित किया जाये। दूसरे शब्दों में, आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की दशा में तथ्यों की समुचित मीमांशा कर न्यायिक मस्तिष्क के प्रयोग व विश्लेशण पर आधारित न्यायिक विवेकाधिकार के प्रयोग को मान्यता प्रदान की गई तथा यह स्पष्ट किया गया कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध उद्घाटित

होने मात्र के आधार पर ही ऐसे आवेदन के स्वीकृति की कोई विधिक बाध्यता नहीं है।

9- अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी नागेश्वर मिश्र द्वारा विपक्षी राहुल गांधी के विरुद्ध प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र अं० धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत करते हुए, यह प्रार्थना की गयी कि विपक्षी राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए उनके आपतिजनक बयान के लिए उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा- 147, 148 ,152 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश संबंधित थाने को दिया जाय। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर, यह निष्कर्ष देते हुए आदेश पारित किया गया है कि धारा 208 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अनुसार भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए भारत में जांच या उसका विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने संबंधी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी नही प्राप्त की गयी है। ऐसे में प्रार्थना पत्र अं० धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त कर दिया है।

10- चूंकि धारा 208 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के परंतुक के अनुसार भारत से बाहर किए गए अपराधों के संबंध में भारत में जांच या उसका विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। ऐसे में हस्तगत प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि <u>क्या भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश देने के पूर्व केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है?</u>

11- **<u>भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 208 के अनुसार-</u>**

<u>भारत से बाहर किया गया अपराध - जब कोई अपराध भारत से बाहर -</u>

(क) भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद्र पर या अन्यत्र; या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, किया जाता है, तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के भीतर उस स्थान में किया गया है, जहां वह पाया गया है या जहां अपराध भारत में रजिस्ट्रीकृत है:

<u>परन्तु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अपराध की भारत में जांच या उसका विचारण केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।</u>

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 208 एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 समान है। जिस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 में भारत से बाहर कारित अपराधों के संबंध में भारत में जांच व विचारण के पूर्व केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक थी, उसी प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 208 में भी भारत से बाहर कारित अपराधों के लिए भारत में जांच व विचारण हेतु केंद्रीय सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक की गई है।

उल्लेखनीय है कि धारा 208 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के परंतुक के अनुसार भारत से बाहर कारित अपराधों के संबंध में जांच एवं उसका विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। इस प्रकार भारत से बाहर कारित अपराधों की जांच एवं विचारण के संबंध में प्रतिबंध अधिरोपित किया गया है। केंद्रीय सरकार की अनुमति के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि अपराधी के विरुद्ध एक ही अपराध के लिए दो विभिन्न स्थानों पर जांच या विचारण का कार्य न पर प्रारंभ किया जाए। इस प्रावधान के पीछे मुख्य कारण दोहरे खतरे का सिद्धांत है। यह सिद्धांत अभियुक्त को कानूनी बचाव प्रदान करता है और उसे विधि पूर्वक दोषमुक्ति या दोषसिद्धि के बाद उन्ही आरोपों और तथ्यों के लिए बार-बार मुकदमा चलाने से बचाता है।

12- धारा 208 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा-188 Cr.P.C) का परन्तुक भारत से बाहर कारित अपराध की जॉच व विचारण के लिये केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति की शर्त अधिरोपित करती है। इसप्रकार, भारत से बाहर कारित अपराध की स्थिति में केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति

निम्नलिखित प्रक्रिया हेतु आवश्यक है:-

1. जाँच

2. विचारण

जहाँ तक विचारण का प्रश्न है, इस संबंध में कोई मतभेद नही है कि विचारण एक न्यायिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को दोषी या निर्दोष का विनिश्चय किया जाता है। धारा 208 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के परन्तुक के दृष्टिगत भारत से बाहर कारित अपराध के भारत में विचारण हेतु केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है।

जबकि जाँच को धारा 2(K) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित किया गया है। धारा 2(K) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार-"जाँच से अभिप्रेत है, विचारण से भिन्न, ऐसी प्रत्येक जाँच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है।"

**13-** धारा 208 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के परन्तुक के तहत भारत के बाहर कारित अपराध के लिए विचारण का प्रारंभ केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जा सकता है, परन्तु धारा 208 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जाँच के किस चरण पर मंजूरी की आवश्यकता होगी, अर्थात संज्ञान के बाद अथवा संज्ञान के पूर्व, के विधिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं:-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि ***Ajay Aggarwal vs. Union of India & anrs (1993) 3 SCC 609*** में यह अवधारित किया गया है कि,"prior sanction under the proviso to Section 188 CrPC is not a condition precedent for taking cognizance of the offence and that if need be, such sanction could be obtained after the trial begins. "

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन जज की पीठ द्वारा निर्णयज विधि ***Thota Venkateswarlu v. State of A.P. through Principal Secretary and anrs. (2011) 3 SCC (Cri) 772*** में यह अवधारित किया गया है कि "bar in the conduct of "inquiry" by the Magistrate Court in relation to an offence committed outside India without obtaining sanction of the Central Government as per the proviso to Section 188 CrPC would apply only in respect of the "post-cognizance inquiries.

Upto the stage of taking cognizance, no previous sanction would be required from the Central Government in term of the proviso to Section 188 Cr.P.C.. However, the trial cannot proceed beyond the cognizance stage without the previous sanction of the Central Government."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि ***Narela Chiranjivi Arun Kumar Vs. The State of Andhra Pradesh and anrs. 2021 SCC Online SC 3392*** में यह अवधारित किया गया है कि,"Sanction of the Central Government is not required at the stage of cognizance for offences committed outside India by an Indian citizen, but trial cannot commence without such sanction."

**14-** उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि किसी मामले के संज्ञान लिये जाने तक धारा 208 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के परन्तुक के तहत केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक नही है, किन्तु संज्ञान के बाद विचारण तब तक प्रारंभ नही किया जा सकता, जबतक केन्द्रीय सरकार की मंजूरी न प्राप्त हो जाय। इसप्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 208 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के परन्तुक में जिस जाँच का उल्लेख किया गया है, वह किसी मामले में आरोप पत्र दाखिल होने पर संज्ञान उपरांत एवं आरोप विरचित होने की जाँच के संबंध में है, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है। चूंकि संज्ञान लिये जाने तक किसी भी जाँच अथवा अन्वेषण(Investigation) के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक नही है। ऐसे में धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आदेश पारित करने हेतु केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति आज्ञापक नही है।

15- इसके अतिरिक्त विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 197 के प्रावधान कि- भारत में किये गये अपराध की जॉच या विचारण आमतौर पर ऐसे न्यायालयों में किये जायेंगे, जिनके स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध कारित किया गया हो, का उल्लेख किया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था ***Trisuns Chemical Industry Vs. Rajesh Agrawal and anrs. 1999 (2) JIC 772(SC)*** में यह अवधारित किया गया है कि, "The jurisdictional aspect becomes relevant only when the question of inquiry or trial arises. It is therefore fallacious thinking that only a magistrate having jurisdiction to try the case as the power to take cognizance of the offence. If he is a magistrate of the first class is power to take cognizance of the offence is not impaired by territorial restrictions. After taking cognizance he may to decide as to the Court which has jurisdiction to inquire into or try the offence and that situation would reach only during the post cognizance stage and not earlier. "

इसप्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विधि व्यवस्था के आधार पर स्पष्ट है कि किसी अपराध की जॉच व विचारण का क्षेत्राधिकार किस न्यायालय के पास है, यह केवल संज्ञान के बाद के चरण में आयेगा, उसके पहले नही।

16- उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा विपक्षी राहुल गॉधी के दो भिन्न भिन्न स्थानों पर दिये गये बयानों/भाषणों के आधार पर प्रार्थना पत्र अं० धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिल्ली में विपक्षी राहुल गॉधी द्वारा दिये गये भाषण के किसी अंश का उल्लेख न होने के आधार पर संज्ञेय अपराध का कारित होना नही पाया, जबकि अमेरिका में विपक्षी राहुल गॉधी द्वारा दिये गये बयान के संबंध में धारा 208 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के परन्तुक के दृष्टिगत आक्षेपित आदेश दिनांकित 28.11.2024 पारित किया गया है।

17- न्यायालय के मत में विपक्षी राहुल गॉधी के दिल्ली के बयान के संबंध में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांकित 28.11.2024 में दिया गया निष्कर्ष न्यायोचित व विधिनुसार है, जबकि भारत से बाहर अर्थात् अमेरिका में विपक्षी के बयान के संबंध में दिया गया निष्कर्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्थाओं में संप्रेषित सिद्धांतों के विपरीत है।

जबकि विपक्षी की ओर से प्रस्तुत विधि व्यवस्था प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण हस्तगत मामले में लागू नही होते हैं।

18- इसप्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 28.11.2024 भारत से बाहर कारित अपराध हेतु जॉच और विचारण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्थाओं में संप्रेषित सिद्धांतों के विपरीत है। अतः उसमें निगरानी न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का समुचित आधार उपलब्ध है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 28.11.2024 बने रहने योग्य नही है। तदनुसार प्रश्नगत आदेश निरस्त करते हुए, निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

दाण्डिक निगरानी संख्या 61 सन् 2025 नागेश्वर मिश्रा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य स्वीकार किया जाता है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 3200/2024 नागेश्वर मिश्र व अन्य बनाम राहुल गॉधी मे पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 28.11.2024 को अपास्त किया जाता है।

विद्वान मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निगरानी निर्णय के आलोक एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संप्रेषित सिद्धांतों के दृष्टिगत पुनः सुनवाई कर विधिनुसार आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित हो तथा अवर न्यायालय की मूल पत्रावली

सम्बन्धित न्यायालय/अभिलेखागार को वापस किया जाये। निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 21-07-2025

(यजुवेन्द्र विक्रम सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/,
विशेष न्यायाधीश(एम०पी०/एम०एल०ए०),
न्यायालय संख्या-5, वाराणसी।
जे0 ओ 0 कोड- यू0 पी0 1725

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 21-07-2025

(यजुवेन्द्र विक्रम सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/,
विशेष न्यायाधीश(एम०पी०/एम०एल०ए०),
न्यायालय संख्या-5, वाराणसी।
जे0 ओ 0 कोड- यू0 पी0 1725

स्टेनो- निखिल सिंह।